कार्यालय जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) –सह– उपायुक्त, पलामू।

प्रेस–विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग झारखण्ड राँची के पत्रांक–998 दिनांक–25.10.2017 में दिये गये निदेश के आलोक में नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2018 हेतु मेदिनीनगर नगर निगम/छतरपुर नगर पंचायत एवं हुसैनाबाद नगर पंचायत के मतदान केन्द्रों की स्थापना करते हुए मतदान केन्द्रों की सूची प्रपत्र–A का प्रारूप प्रकाशन दिनांक–13.11.2017 को आम जनता की जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पलामू जिला के कार्यालय/संबंधित नगरपालिका कार्यालय एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) कार्यालय में कर दिया गया है। प्रारूप प्रकाशन की अवधि दिनांक–13.11.2017 से 20.11.2017 तक निर्धारित है। उक्त अवधि में जिस किसी व्यक्ति को मतदान केन्द्रों की स्थापना से संबंधित आपत्ति/सुझाव देना हो वे उक्त नगरपालिका से संबंधित अंचल अधिकारी, सदर मेदिनीनगर/छतरपुर एवं हुसैनाबाद के कार्यालय में दिनांक–20.11.2017 तक कार्यालय अवधि में समर्पित कर सकते हैं।

16.11.17

ह0/–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
–सह– उपायुक्त, पलामू।

ज्ञापांक 45 /नि0को0 दिनांक 14.11.17

प्रतिलिपि : निदेशक जन सम्पर्क विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि स्थानीय सामाचार पत्रों में उक्त प्रेस विज्ञप्ति को प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि : जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि प्रारूप मतदाता सूची एवं प्रेस–विज्ञप्ति को जिले के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

14/11/17

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
–सह– उपायुक्त, पलामू।